

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 29, गुरुवार, शाके 1947- नवम्बर 20, 2025 Kartika 29, Thursday, Saka 1947- November 20, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 07, 2025

संख्या प. 28(9)उद्योग/1/2025 :-राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रेटर भिवाडी मास्टर प्लान-2041 में रीको के औद्योगिक क्षेत्र सालारपुर में डेडीकेटेडफ्रेट कोरिडोर के समानान्तर 60 मीटर की सड़क नियोजित है।

रीको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार सालारपुर औद्योगिक क्षेत्र में डेडीकेटेडफ्रेट कोरिडोर के दक्षिण दिशा में 40 मीटर चौड़ाई की लोजिस्टिक्स का गॉहैण्डलिंग सुविधा विकसित की जानी है। प्रस्तावित लो जिस्टिक्स का गॉहैण्डलिंग सुविधा को विकसित किए जाने हेतु ग्रेटर भिवाडी मास्टर प्लान ,2041 में नियोजित 60 मीटर की सड़क के अलाइनमेंट में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

उक्त संशोधन के संबंध में प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, बीडा, भिवाडी का पक्ष सुनने के बाद यह प्रतीत होता है कि प्रस्तावित संशोधन किया जाना राजस्थान विशेष विनिधान अधिनियम, 2016 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक एवं समीचीन है।

अतः राजस्थान विशेष विनिधान क्षेत्र अधिनियम, 2016 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रेटर भिवाडी मास्टर प्लान, 2041 में नियोजित डेडिकेटेडफ्रेट कोरिडोर के समानान्तर 60 मीटर की सड़क का अलाइनमेंट ग्राम सालारपुर के खसरा सं.1603/324 से खसरा सं.1506/1170 तक 40 मीटर दक्षिण दिशा में स्थानान्तरित किया जाता है। इस प्रकार ग्रेटर भिवाडी मास्टर प्लान, 2041 को संशोधित किया जाता है।

संशोधित मास्टर प्लान एवं मानचित्र का अवलोकन बीडा भिवाडी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महिपाल कुमार,

उप शासन सचिव।